

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/डीजीएस/अलेसे-III/520

दिनांक :- 19-7-2022

आदेश संख्या 31/2023-24

स्वर्गीय श्री बीरेन्द्र सिंह, सिपाही (जी.डी.-94008003) सेना का सेवाकाल के दौरान दिनांक 09.06.2004 को निधन हो जाने के कारण उनके आश्रित पुत्र श्री शुभम सिंह कुन्तल, जिनकी जन्मतिथि 19.07.1999 है, को राजस्थान सरकार, कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (3)कार्मिक/क-2/94 दिनांक 01.10.2002 (राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम-2002) के अन्तर्गत राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा- मीलिटरी बलों के मृत कार्मिकों के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन-भत्तों पर कार्यालय कोषालय, भरतपुर में नियुक्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग की Email:- jacct.dta@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से सूचित करें।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम/मेरिट	जन्मतिथि	पदस्थापन कार्यालय	अभ्यर्थी का फोटो
1.	SHUBHAM SINGH KUNTAL S/O BIRENDER SINGH KUNTAL (DGS)	19-07-1999	कोषालय, भरतपुर	

उपरोक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन दी जा रही है :-

- अभ्यर्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्वधीन होगा।
- अभ्यर्थी की जन्मतिथि इनके द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आवेदन पत्र में अंकित एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- यह नियुक्ति, संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्वधीन है।
- अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश/आदेश लागू होंगे।
- अभ्यर्थी को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
- यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण/अर्हता प्राप्त कर लेने पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिये उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे इनको राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
- यदि वे आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 के अनुसार इनकी नियुक्ति स्वर्गीय श्री बीरेन्द्र सिंह (जी.डी.-94008003) सेना के परिवार के समस्त आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं करने की स्थिति में समाप्त की जा सकती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

कृ.प.उ.

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/डीजीएस/अलेसे-III/520
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 19-7-2023

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (विभागीय एकल पत्रावली क्रमांक एफ.4(ई)(1)(6)/अनु.नियुक्ति/अलेसे-III/176 दिनांक 27.01.2023 पर प्राप्त मार्गदर्शन दिनांक 25.04.2023) के क्रम में।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन वरिष्ठ उप सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर।
4. सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर, कमरा नं. 7225, खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005
5. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, भरतपुर।
6. कोषाधिकारी, कोषालय, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे संबंधित अभ्यर्थी के उपस्थिति प्रस्तुत करने पर बिन्दु संख्या 4 में अंकित संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावें।
7. श्री शुभम सिंह कुन्तल पुत्र स्व. श्री बीरेन्द्र सिंह ग्राम व पोस्ट रारह, तहसील-कुम्हेर, भरतपुर (राज.) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र प्रेषित करावें।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
9. उपनिदेशक (एसीपी) को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं COINS में रिकॉर्ड संधारण हेतु।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)